“नगरीय शासन व्यवस्था में साक्षर महिला प्रतिनिधियों की भूमिका”
(जयपुर जिले के विशेष संदर्भ में)

“बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ”

राजनीति विज्ञान विषय में
पी.एच.डी.उपाधि हेतु
प्रस्तुत शोध प्रबंध की रूपरेखा

शोध निर्देशिका
JV’n (डॉ) सपना गहलोत

शोधार्थी
JV’n राजू जाट
नामांकन क्रमांक-JVR-I/21/5816

मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग
फैकल्टी ऑफ एज्यूकेशन एंड मैथडोलॉजी
ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय,जयपुर (राजस्थान)

2021

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पेज संख्या
1	पृष्ठभूमि • 1.1.1-नगरीय प्रशासन व्यवस्था का इतिहास • 1.1.2-राजस्थान राज्य में नगरीय निकायों की संख्या • 1.1.3-राजस्थान नगर पालिका-द्रितीय संशोधन विधेयक -2015 • 1.1.4-नगर पालिका अधिनियम 2009 में संशोधन • 1.1.5-वर्तमान में जयपुर नगर निगम की स्थिति	3-8
2	विषय और अध्ययन क्षेत्र	8-9
3	उद्देश्य	9-10
4	अध्ययन की रूपरेखा	10
5	शोध की परिकल्पना	10-11
6	शोध प्रश्न	11
7	शोध प्रश्न	11-12
8	साहित्य अवलोकन	12-15
9	अध्यायीकरण	15-16
10	संदर्भ ग्रंथ सूची एवं बेवलिग्स	16-17

1-पृष्ठभूमि

महिला सशक्तीकरण और महिलाओं के समान अवसर या समानता से तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से हैं, जिसमें महिलाओं के लिए सम्पन्न और विकसित होने हेतु संभावनाओं के द्वारा खुले नए विकल्प तैयार हों। महिलाएँ समाज के लगभग आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन उनकी राजनीतिक सहभागिता लगभग नगण्य रही है।

भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और शहरी क्षेत्रों में भी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य यही है, कि स्थानीय स्तर पर विकास की योजनाओं का खाका स्थानीय स्तर पर ही बनाया जा सकें। सामाजिक समता और न्याय,आर्थिक विकास और व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आधारित लोगों को नया रूप देने का यह एक प्रयास कहा जा सकता है। इसी क्रम में स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये नये-नये प्रावधान किया गये है। किसी-किसी राज्य में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण तक दिया गया है। वर्तमान में 33 फीसदी आरक्षण महिलाओं को स्थानीय निकायों और पंचायतीराज व्यवस्था में मिल रहा है।

महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक भूमिका स्वतंत्रता के पश्चात से नगण्य रहने के कारण इन्हें पिछड़ें वर्गों में रखकर आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है संपूर्ण महिला वर्ग में भी वर्गों के आधार पर महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति में अंतर है। राजनीति का क्षेत्र भी महिलाओं के प्रभाव से अछूता नहीं है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, जिसमें जनता के द्वारा देश की संचालन व्यवस्था हेतु अपने मत में जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है, और इन्हीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा सत्ता में पहुंचकर देश की नीतियों एवं दिशा निर्देशों को बनाया एवम् क्रियान्वित किया जाता है। देश की राजनीति में महिलाओं की भूमिका शुरूआत के दिनों में अशिक्षा, पर्दाप्रथा के कारण कम भी लेकिन जैसे-जैसे सामाजिक कुरीतियॉ खत्म हो रही है महिलाओं की भूमिका राजनीति में मजबूत होती जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, कानून, अभियांत्रिकी, प्रबंधन के साथ-साथ राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाए आगे आ रही है और अपनी स्थिति को सुधारने के प्रयास में लगी हुई है।

यह सर्वविदित है, कि हमारे देश की जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाऐं हैं। जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को स्वीकार किया गया है क्योंकि महिला एवं पुरूष विकास रूपी गाड़ी के दो पहिए है। महिलायें राष्ट्र के विकास में उतना ही महत्व रखती हैं जितना कि पुरूष। अतः देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बगैर संभव नहीं है। भारतीय

महिलाओं ने देश दुनिया के विभिन्न क्षेत्र में अपना सम्मानित स्थान बनाया है। आज महिलाऐं बेहतर रोजगार के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जाने के लिए तैयार है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नही जहां महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो। राष्ट्र के विकास की अग्रदूत बनी महिलाओं द्वारा देश ही नही वरन् विदेशों में भी अपने राष्ट्र का परचम लहराया है यह सब अथक प्रयासों के द्वारा धीरे धीरे संभव हो पाया है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व महिलाओं की स्थिति अत्यन्त सोचनीय थी। वह शोषण तथा कुप्रथा जैसी विसंगतियों का शिकार थी। समाज में कई प्रकार की रूढ़िया, अंधविश्वास व्याप्त थे। महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी एवं परम्परागत सोच स्त्री को पिता, पति या पुत्र का आश्रित मानते हुए उसे मुख्य रूप से घर की चारदीवारी तक सीमित रखा गया। जिसका मुख्य कारण तात्कालिक सामाजिक विचार का पिछड़ापन तथा स्त्रियों का अज्ञानता के बंधन में जकड़ा होना था। स्वतंत्रता के बाद से ही नारी के स्वरूप में तेजी से परिवर्तन आया है। जिस देश में नारी को घर की दहलीज से बाहर निकलने की आज्ञा नही थी, उसी देश में आज नारी पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। वह घर की चारदीवारी से निकलकर अंतरिक्ष तक जा पहुंची है। जिस देश की नारी जागृत, शिक्षित तथा गुणवत्ती होती है वही देश संसार में सबसे अधिक उन्नति करता है इसी विचार धारा को ध्यान में रखकर हमारे यहां स्त्रियों को पुरूषों के बराबर अधिकार प्रदान किये गये और इनके लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था की गयी, तब किसी ने सोचा भी न था कि वह पिछड़ा हुआ नारी वर्ग पुरूषों से भी आगे निकल जायेगा। शिक्षा ही वह साधन है जिसके द्वारा महिलाओं की रोजगार तथा स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारा जा सकता है।

हमारा समाज मूल रूप से पुरूष प्रधान रहा है। पहले महिलाओं के पास किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता न होने के कारण उसकी सामाजिक व पारिवारिक स्थिति एक पराश्रित से अधिक नहीं थी। जिसे हर कदम पर एक पुरूष के सहारे की जरूरत होती थी।

सृष्टि की उत्पत्ति एवं सभ्यता के विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। पुराणों के अनुसार चाहे धर्म की रक्षा हो या उसकी पुर्नस्थापना इन सभी कार्यो को आदि शक्ति मॉ जगदम्बा ने ही पूर्ण किया है। सीता, सावित्री के धर्मपालन को आज भी आदर्श के रूप में समाज में माना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा के वीरता बलिदान तथा सेवा की मिशालें आज भी हमारे जीवन को एक दिशा प्रदान करती है।

स्थानीय निकायों और पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण और स्थान देकर सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में और उनको राजनैतिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण पहल की है।

1.1.1-नगरीय प्रशासन व्यवस्था का इतिहास

भारत में सर्वप्रथम नगरीय शासन की स्थापना मद्रास में हुई। राजस्थान के माउण्ट आबू में 1864 ई . में राज्य की पहली नगरपालिका स्थापित की गयी। इसके बाद अजमेर में 1866 ई. मे ब्यावर, 1867 ई. तथा जयपुर में 1869 में नगरपालिकाएँ स्थापित की गई। स्वतंत्रता के समय राज्य में 7 जिला बोर्ड , उदयपुर में नगर निगम तथा 136 शहरों, कस्बों में नगरपालिकाएँ कार्यरत थी। राजस्थान राज्य में नगरपालिका प्रशासन में एकरूपता स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 को राजस्थान में लागू कर दिया गया। 1950 में नगरपालिकाओं में समन्वय, निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य में स्थानीय निकाय विभाग की स्थापना की गई। स्वतंत्राता के पश्चात् 1951 में पहली बार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-1951 लागू कर सम्पूर्ण राज्य के स्थानीय शहरी प्रशासन में एकरूपता स्थापित की गई। इसे 1959 में समाप्त कर नया 'राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-1959 क्रियान्वित किया गया।

1 जून, 1993 को 74वॉ संविधान संशोधन लागू हुआ जिसके द्वारा स्थानीय शासन की संस्थाओं को संवैधनिक दर्जा दिया गया। इसके तहत संविधान में भाग 9क जोड़ा गया जिसमें अनुच्छेद 243 त से 243 छ तक शामिल किए गए है। संविधान की 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई जिसमें 18 विषय शामिल किए गए। 9 अगस्त, 1994 की जारी अधिसूचना के तहत् राज्य में निम्न प्रकार की 188 शहरी स्वशासन संस्थाएँ कार्यरत है-

- **1 नगर निगम**-जिन शहरों की जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो, वहाँ की स्थानीय स्वशासन संस्था 'नगर निगम' कहलाती है। इसका अध्यक्ष 'महापौर' कहलाता है।
- **2 नगर परिषद्** एक लाख से अधिक तथा 5 लाख तक आबादी वाले शहरों में स्थानीय स्वशासन संस्था नगर परिषद् होती है। इसका अध्यक्ष सभापति होता है।
- **3 नगरपालिका:** एक लाख तक की आबादी वाले शहरों एवं कस्बों में स्थानीय स्वशासन की इकाई नगरपालिका होती है।

नगर परिषद एवं नगरपालिका का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी अधिशासी अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। शहरी निकायों के निगम आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

1.1.2-राजस्थान राज्य में नगरीय निकायों की संख्या

राज्य में वर्तमान में 10 नगर निगम- जयपुर ग्रेटर,जयपुर हैरिटेज, जोधपुर में 2 कोटा में 2, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर एवं भरतपुर में नगरनिगम है। इस प्रकार राज्य में कुल 10 नगर निगम है। इसके अलावा 34 नगर परिषद एवं 147 नगरपालिकाएँ है ।

अजमेर में नगर निगम का गठन 30 जुलाई, 2008 को, बीकानेर में नगर निगम का गठन अगस्त, 2008 में उदयपुर में नगर निगम का गठन 28 मार्च, 2013 को किया गया। भरतपुर में नगर परिषद् के स्थान पर नगर निगम के गठन की अधिसूचना 13 जून, 2014 को जारी की गई।

7 संभाग मुख्यालयों पर नगर निगम गठित हो गये है। राज्य में 1 मई, 2012 से सभी जिला मुख्यालयों पर नगर पालिकाओं का नगर परिषद् के रूप में गठन कर दिया गया है। अब राज्य में 34 नगर परिषद हो गई है तथा 147 नगर पालिकाएँ रह गई है।

74 वे संविधान संशोधन के लागू होने के बाद स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधनिक दर्जा मिल गया है तथा अब इनके चुनाव हर 5 वर्ष मं उनके कार्य काल की समाप्ति से पूर्व ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाये जाने अनिवार्य है। इनके सभी पदों-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों पर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तथा सभी पदों पर सभी वर्गां में 1/3 स्थान महिलाओ के लिए आरक्षित कर दिये गये है जो क्रमिक रूप से लॉटरी द्वारा निर्धारित किये जाते है। सितम्बर, 2008 में राज्यपाल के अध्यादेश द्वारा नगर निकायों में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया, परंतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है।

राजस्थान नगरपालिका विधेयक 2009 के अन्तर्गत नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधन किया गया है।

इस विधेयक में युवाओं को 20 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए भी नई धारा 21(I) जोड़ी गई थी। परन्तु 16 जुलाई, 2010 को उच्चतम न्यायालय ने महिला आरक्षण की वृध्दि में रोक का आदेश पारित किया है। युवाओं के आरक्षण पर भी उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है।

1.1.3-राजस्थान नगर पालिका-द्रितीय संशोधन विधेयक -2015

18 सितम्बर, 2015 को राजस्थान विधन सभा में नगर पालिकाओं के चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यकता होगी।

अब पालिका चुनाव लड़ने वाले के घर में कार्यशील शौचालय आवश्यक कर दिया गया है और साथ ही यह तय करना होगा कि परिवार का सदस्य भी खुले में नहीं जाता।

1.1.4-नगर पालिका अधिनियम 2009 में संशोधन

- स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास व घर में शौचालय अनिवार्य होगा।
- स्थानीय निकाय चुनाव में पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास तथा घर में शौचालय की अनिवार्यता के अध्यादेश को राज्यपाल कल्याण सिंह ने 21 जुलाई, 2015 को मंजूरी प्रदान कर दी थी।
- नगर निगम के वार्डों के पुनर्गठन के साथ ही चुनाव लड़ने के इच्छुक राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में वार्ड के आरक्षण कa लेकर चर्चाएं जोर पकड़ने लगी है। निगम के चुनावों में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण ही लागू रहेगा। वार्डों के पुनर्गठन के निगम में 150 वार्ड होगें। इन वार्ड में 49 पार्षद महिलाएं होगी। निगम के आगामी नवंबर में चुनाव होने हैं। चुनावों के लिए सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में चुनाव आचार संहिता लागू होगी। वर्तमान में निगम में 91 पार्षदों में से भाजपा व कांग्रेस की कुल 33 महिला पार्षद है।

1.1.5-वर्तमान में जयपुर नगर निगम की स्थिति

वर्तमान समय में यानि 2020 के चुनावों में राज्य सरकार ने जयपुर में दो नगर निगमों का गठन कर दिया।जिनमें

1-जयपुर ग्रेटर नगर निगम

2-जपुर हेरिटेज नगर निगम

जयपुर ग्रेटर में महिलाओं में सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिये 20 वार्ड एससी वर्ग की महिलाओं के लिये 4 वार्ड महिलाओं के लिए, ओबीसी वर्ग में 7 वार्ड महिलाओं के लिए और

एसटी वर्ग में 1 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस प्रकार से कुल 32वार्ड महिलाओं के लिये आरक्षित किये गये है।

वहीं, हेरिटेज नगर निगम में सामान्य वर्ग में 20 वार्ड महिलाओं के लिए, एससी वर्ग में 4 वार्ड, ओबीसी वर्ग में 7 वार्ड और एसटी वर्ग में 1 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। यहां पर भी 32 वार्ड महिलाओं के लिये आरक्षित किये गये है। इस प्रकार से कुल 64 वार्ड जयपुर में महिलाओं के लिये आरक्षित किये गये है।

2-विषय और अध्ययन क्षेत्र

2.1-अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन के लिये जयपुर का चयन प्रशासकीय इकाई के रूप में किया गया है।

जयपुर जिले में दो नगरनिगम और 10 नगरपालिकाओं का गठन किया गया है।

2.2-जयपुर जिले की नगरपालिका और महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड

- 1: विराटनगर नगर पालिका: कुल वार्ड 25 महिलाओं के लिये आरक्षित-08
- 2: सांभर पालिका: कुल वार्ड 25 महिलाओं के लिये आरक्षित-08
- 3: शाहपुरा पालिका : कुल वार्ड 35 महिलाओं के लिये आरक्षित-11
- 4: फुलेरा पालिका: कुल वार्ड 25 महिलाओं के लिये आरक्षित-08
- 5: जोबनेर पालिका: कुल वार्ड 20 महिलाओं के लिये आरक्षित-06
- 6: किशनगढ़—रेनवाल नगर पालिका: कुल वार्ड 35 महिलाओं के लिये आरक्षित-11
- 7: कोटपूतली पालिका: कुल वार्ड 40 महिलाओं के लिये आरक्षित-13
- 8: बगरू नगर पालिका: कुल वार्ड 35 महिलाओं के लिये आरक्षित-11

- 9: चौमूं नगर पालिका: कुल वार्ड 45 महिलाओं के लिये आरक्षित-14
- 10: चाकसू नगर पालिका: कुल वार्ड 35 महिलाओं के लिये आरक्षित-11

2.3-वर्तमान में जयपुर नगर निगम की स्थिति

वर्तमान समय में यानि 2020 के चुनावों में राज्य सरकार ने जयपुर में दो नगर निगमों का गठन कर दिया।जिनमें

1-जयपुर ग्रेटर नगर निगम-महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड-32

2-जपुर हेरिटेज नगर निगम-महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड-32

इस प्रकार से जयपुर जिले में नगरपालिकाओं में 91 वार्ड और 64 वार्ड नगरनिगमों में आरक्षित किये गये है। इस प्रकार से कुल 155 महिला जनप्रतिनिधी जयपुर जिले में स्थानीय निकायों में अपनी भूमिका का निवर्हन कर रही है। इसके अलावा दोनों नगरनिगमों में महापौर भी महिला जनप्रतिनिधि है। इस प्रकार से कुल 157 महिला जनप्रतिनिधी है।

2.4-उत्तरदाताओं का चुनाव

प्रस्तुत अध्ययन में कुल 157 महिला जनप्रतिनिधियों में से 100 महिला जनप्रतनिधियों का चुनाव सौउद्देश्य दैव निदर्शन प्रणाली से किया जायेगा। इन 100 महिला जनप्रतिनिधियों को बीच में अनुसूची के माध्यम से प्राथमिक आकड़ों का संकलन किया जायेगा। इसके बाद सांख्याकीय विधियों का प्रयोग कर आंकड़ो को विश्लेषित किया जायेगा।

3-उद्देश्य

शोध के उद्देश्य

अध्ययन का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था में राजनैतिक व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है,वर्तमान दौर महिला राजनैतिक का दौर है। चुनावों में लोगों की राजनैतिक गतिविधियों में महिलाओं की संलग्नता बढ़ी है।इसी का परिणाम कहा जा सकता है कि सामाजिक संगठन के स्वरूप में परिवर्तन आया है,इन परिवर्तनों में राजनैतिक महिला जनप्रतिनिधियों की भूमिका के अध्ययन के लिये निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये है।

1-साक्षर महिला जनप्रतिनिधियों की सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।

2-साक्षर महिला जनप्रतिनिधियों का राजनीतिक-समाजीकरण का अध्ययन करना।

3-साक्षर महिला जनप्रतिनिधियों की कल्याणकारी कार्यक्रमों में सक्रियता का अध्ययन करना।

4-सरकारी योजनाओं के क्रियान्यवन में आने वाली कठिनाईयों का अध्ययन करना।

5-नगरीय निकाय में साक्षर महिला जनप्रतिनिधियों की भूमिका का अध्ययन करना।

4-अध्ययन की रूपरेखा

वर्तमान में जयपुर नगर निगम की स्थिति

वर्तमान समय में यानि 2020 के चुनावों में राज्य सरकार ने जयपुर में दो नगर निगमों का गठन कर दिया।जिनमें

1-जयपुर ग्रेटर नगर निगम

2-जपुर हेरिटेज नगर निगम

जयपुर ग्रेटर में महिलाओं में सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिये 20 वार्ड एससी वर्ग की महिलाओं के लिये 4 वार्ड महिलाओं के लिए, ओबीसी वर्ग में 7 वार्ड महिलाओं के लिए और एसटी वर्ग में 1 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस प्रकार से कुल 32वार्ड महिलाओं के लिये आरक्षित किये गये है।

वहीं, हेरिटेज नगर निगम में सामान्य वर्ग में 20 वार्ड महिलाओं के लिए, एससी वर्ग में 4 वार्ड, ओबीसी वर्ग में 7 वार्ड और एसटी वर्ग में 1 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। यहां पर भी 32 वार्ड महिलाओं के लिये आरक्षित किये गये है।

इस प्रकार से कुल 64 वार्ड जयपुर में महिलाओं के लिये आरक्षित किये गये है।

महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड की महिला प्रतिनिधियों का अध्ययन के लिये चयन किया गया है।

5-शोध की परिकल्पना

प्रस्तावित अध्ययन को वैज्ञानिक आधार पर निश्चित दिशा की ओर ले जाने हेतू कुछ उपकल्पनाओं का निर्धारिण किया गया है,जो इस प्रकार से है।

1-साक्षर महिला जनप्रतिनिधि संयुक्त परिवार की तुलना में एकाकी परिवार से अधिक संबंधित हो सकते है।

2-उच्च शिक्षित महिला जनप्रतिनिधि निम्न शिक्षित महिला जनप्रतिनिधी की तुलना में नगरीय विकाय में अधिक योगदान देती है।

3-नगरीय क्षेत्रों के विकास में साक्षर महिला जनप्रतिनिधियों की सकारात्मक भूमिका नहीं है।

4-सरकारी योजनाओं की ज्ञान न होने से साक्षर महिला जनप्रतिनिधि पूरी क्षमता के साथ अपने क्षेत्र के विकास में योगदान नहीं दे पाती है।

6-शोध प्रश्न

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिये निम्न शोध प्रश्न चिन्हाकिंत किये गये है। वे इस प्रकार से है।

1-साक्षर महिला जनप्रतिनिधियों की राजनैतिक समझ को ज्ञात करना।

2-राजनीति में साक्षर महिला जनप्रतिनिधियों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।

3-साक्षर महिला जनप्रतिनिधियों की राजनैतिक प्रतिभा का अध्ययन करना।

4-प्रशासनिक कार्यों की समझ और राजनैतिक कार्यों की समझ का अध्ययन करना।

5-सरकारी योजनाओं के बारे में साक्षर महिला जनप्रतिनिधियों की जानकारी का अध्ययन करना।
6-सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में साक्षर महिला जनप्रतिनिधियों को होने वाली कठिनाईयों का अध्ययन करना।

7-साक्षर महिला जनप्रतिनिधियों की सामाजिक-राजनैतिक स्थितियों का अध्ययन करना।

7-शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विवरणात्मक शोध प्रविधि का प्रयोग किया जायेगा। प्रस्तुत शोध के लिये साक्षर महिला जनप्रतिनिधियों की राजनैतिक पृष्ठभूमि, राजनैतिक सक्रियता, सरकारी योजनाओं की जानकारी,सरकारी योजनाओं के अपने क्षेत्र में क्रियान्वयन में आने वाली परेशानियों की जानकारी जुटाने के लिये एक अनुसूची(प्रश्नावली) का प्रयोग किया जायेगा।

अनुसूची के निम्न भागों में विभाजित किया जायेगा।

- 1-साक्षर महिला जनप्रतिनिधियों की व्यक्तिगत जानकारी का अध्ययन
- 2-साक्षर महिला जनप्रतिनिधियों की राजनैतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन।
- 3-साक्षर महिला जनप्रतिनिधियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी संबंधी अध्ययन।
- 4-साक्षर महिला जनप्रतिनिधियों की राजनैतिक सक्रियता संबंधी अध्ययन
- 5-सरकारी योजनायें के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों संबंधी अध्ययन।

इन प्रकार से अनुसूची को 5 पांचो में विभाजित कर महिला जनप्रतिनिधियों के मत,विचार अभिमत प्राप्त किये जायेगे।

- प्राथमिक आंकड़े-प्रस्तुत शोध में एक अनुसूची तैयार कर उसको पांच भागों में विभाजित कर महिला जनप्रतिनिधियों के विचार,मत,अभिमत प्राप्त कर प्राथमिक आकड़े संकलित किये जायेगे।
- द्रितीयक आंकड़े-प्रस्तुत शोध अध्ययन के दौरान नगरीय निकाय के पूर्ववर्ती सालों का रिकार्ड,प्रतिवेदन,आय-व्यय के लेखा-जोखा,वार्षिक प्रतिवेदन के आधार पर द्रितीयक आकड़ों का संकलन किया जायेगा।

8-साहित्य अवलोकन

प्रमिला यादव(2018) ने उत्तरप्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों में राजनीतिक सहभागिता-एक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। उन्होने अपने शोध सारांश में लिखा है कि भारत में संविधान द्वारा लोकतन्त्र, लोककल्याणकारी तथा समानता एवं न्याय पर आधारित राज्य एवं शासन की स्थापना की गई है। इसमें जनता की जागरूकता एवं जन सहभागिता आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होती हैं। भारतीय लोकतंत्र को संघीय स्तर से प्रान्तीय तथा स्थानीय स्तर तक प्रसारित किया गया है। भारत में स्थानीय शासन दो भागों में विभक्त है- ग्रामीण स्थानीय शासन एंव नगरीय स्थानीय शासन। बढ़ते औद्योगिकरण, शिक्षा के प्रसार, विज्ञान एवं

तकनीकी प्रसार से न केवल नगरों की संख्या में वृद्धि हुई है। वरन् नगरीकरण ने नगरीय समस्याओं एवं चुनौतियों को भी बढ़ा दिया है। इस कारण नगरीय शासन एवं प्रशासन की आवश्यकता एवं महत्व भी बढ़ गया है।

द्विवेदी (2015)- ने अपनी पुस्तक के उद्देश्य के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बताया है। प्रस्तुत लेख की शोध पध्दति विश्लेषणात्मक है। लेखक ने पुस्तक के माध्यम से महिला के सशक्तिकरण की बात कही गई है, जिसमें महिलाओं को सामाजिक, राजनीति, आर्थिक और कानूनी रूप से सोचने समझने और जीने की स्वतंत्रता आवश्यक मानी गयी है। सशक्तिकरण का संबंध महिलाओं के जीवन में आत्मनिर्णय से है। राजनीतिक दलों के भेदभाव पूर्ण रवैये के बावजूद भी भारत में महिला मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय बढ़त देखी जा सकती है। निष्कर्ष के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार ने इस संबंध में कई सकारात्मक कदम उठाए है तथा यह आवश्यक माना है कि ग्रामीण महिलाओं मे भी चेतना और जागृति का विस्तार हो। महिलाओं को भी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाना और अपने बच्चों को भी आत्मनिर्भर बनाना अति आवश्यक है जहाँ महिलाऐं निर्णय लेने में स्वतन्त्र होगी, उसी के अनुरूप महिलाऐं देश में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी और जिम्मेदारी को समझेगी।

जैन एवं गानीगेर (2013) प्रस्तुत लेख में लेखक का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन में महिला की भागीदारी और समाजिक अवसर, चुनौतियों और ई-गवर्नेन्स के माध्यम से विकास, राजनीति रूप से प्रतिनिधित्व तथा आर्थिक रूप से सशक्तिकरण को दर्शाना है। प्रस्तुत लेख की शोध पध्दति विलेषणात्मक व वर्णनात्मक है, लेखक के माध्यम राजनीति कार्यों में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता के कारण महिलाओ के खुद के स्वाभिमान वृध्दि बढ़ रही है। पंचायती राज्य में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था से महिलाओं में राजनीतिक रूप से जागरुकता हुई है, तथा कुछ राज्यों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिये गये हैं। पंचायती राज्य व्यवस्था में महिलाऐं भी सशक्त एवं जागरूक बनकर अपने अपने कार्यों से समाज कल्याण एवं देश कल्याण में भूमिका निभा रही है। लेखक ने लेख के अन्तर्गत अंत में सुझाव, स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी के लिए कानूनी ढाँचे और नीतियों को मजबूत करना आदि का वर्णन किया है। ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित करने तथा कानूनो और नियमों को अच्छी तरह से अवगत कराने के लिए सुविधा का निर्माण करना, स्थानीय सरकारों

में चयनित महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया आदि पर भी वह बल देते हैं। निष्कर्ष के आधार पर लेखक ने महिलाओं को समान रूप से सशक्त बनाने के लिए शिक्षा तथा कानून में सुधार करना जरूरी समझा है।

मन्ना एवं राजवंश (2018)-प्रस्तुत लेख में लेखक का उद्देश्य स्थानीय स्वशान में महिलाओं की भागीदारी और समाजिक विकास के प्रभाव की पहचान कराना है। प्रस्तुत लेख की शोध पध्दति वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक है। लेखक ने लेख के माध्यम से मालदा जिले के गजोल वॉक जिले में पंडुआ बैरगछी एल-ग्राम पंचायत के बीच तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट किया है कि अधिकांश महिलायें परिवार के सदस्यों में राजनीतिक पार्टी के सम्बन्ध है तथा परिवार के सदस्यों की राजनीति पृष्ठभूमि जमीनी स्तर पर महिलाओं के चुनाव के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करती है। निष्कर्ष राजनीति में महिलाओं की भागीदारी 10 प्रतिशत पंडुआ और 14.66 बैरगछी के आधार पर लेखक ने स्थानीय स्वशासन में महिलाओ की राजनीति भागीदारी के लिए कानूनी ढाँचे और नीतियों को मजबूत करना ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित करना, जागरूक और सामाजिक गतिशीलता पैदा करना आदि पर प्रकाश डाला है।

राय (2006) - प्रस्तुत लेख में लेखक का उद्देश्य राजनीति निर्णय लेने में महिलाओं की राजनीति में मात्रात्मक वृद्धि का अध्ययन महिलाओं के राजनीति सशक्तिकरण में गुणात्मक परिर्वतन में बदलाव व ग्रामीण पंचायत बिहार के सन्दर्भ में प्रस्तुत लेख की शोघ पद्धति विश्लेषणात्मक व वर्णनात्मक है लेखक ने लेख के माध्यम से वर्तमान अध्ययन के परिणाम से पता चलता है कि महिलाओं के लिए आरक्षण भारत के ग्रामीण स्तर पर महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा हो सकती है। राजनीति भागीदारी में महिलाओं को सामान्य रूप से आरक्षण तथा सुविधा सरकार दे रही है लेकिन यह निर्धारित महिलाओं की भागीदारी कें लिए कोई गारंटी नहीं है।

साई और वर्धन (2017) - प्रस्तुत लेख में लेखक का उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में अध्ययन स्थानीय स्वशासन में कितनी है। स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भूमिका के क्या लाभ हैं। तथा प्रशासन में महिलाओं के सहयोग पर भागीदारी का विश्लेषण करना है। प्रस्तुत लेख की शोध पद्धति, विश्लेषणात्मक व विवेचनात्मक है लेखक ने लेख के माध्यम से भारत में निकटवर्ती सरकारी स्तरों के लिए प्रासंगिक है इस पत्र के

परिणामों ने महिलाओं के उस प्रतिशोध को उजागर किया है और आस पास के प्रशासन खराब है क्योंकि उन्हें सम्पत्ति को 30 प्रतिशत पूरा करने की आवश्यकता है। समाज में अल्पसंख्यकों के बारे में नीति जमीन स्तर पर महिलाओं कें लिए स्थानीय स्वशासन की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। निष्कर्ष के आधार पर लेखक ने लेख के अन्तर्गत राजनीति तथा सामाजिक जो अनिवार्य समस्या है सरकार का सहयोग करना चाहिए तथा महिलाओं को सामाजिक समूह तथा नीति और निर्णय लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए।

शेण्डे (2006) - ने अपनी पुस्तक में लेखक के उद्देश्य का अध्ययन करना है, कि नारी उत्थान भारतीय संविधान में, शिक्षा नारी परिवर्तन का एक माध्यम का अध्ययन, नारी उत्थान सामाजिक संस्थाओं का योगदान, नारी उद्वार के बारे में अध्ययन करना है। प्रस्तुत पुस्तक की शोध पद्धति विश्लेषणात्मक व वर्णनात्मक है। लेखक ने पुस्तक के माध्यम से नारी के आगे बढ़ने तथा पुरुष के साथ कन्धा मिलाकर देश के विकास में बराबर भाग लेती हैं। भारत की नारी ने इस चुनौती को स्वीकार कर उच्च शिक्षा ग्रहण कर अपने कार्य क्षेत्र को बदलना प्रारम्भ कर दिया है वह समाज के हर क्षेत्र में उपस्थिति देने लगी है। आज की शिक्षित नारी समय और शिक्षा दोनों के महत्व को जानती है। प्रत्येक क्षेत्र में नारी की सक्रिय भूमिका देश के निर्माण में लगी है। संविधान भारत के अन्य नागरिकों के समान ही महिलाओं को भी सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय प्रदान करने की घोषणा प्रदान करती है। इस पुस्तक में लेखक ने निष्कर्ष के माध्यम से भारतीय नारी के जीवन के बदलने व उनके विकास में आने वाली समस्याओं का विश्लेषण करती हैं एवं समाधान के प्रयासों का भी विवरण देती है।

9-अध्यायीकरण

1-प्रथम अध्याय-स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

इस अध्याय में स्थानीय स्वशासन प्रणाली लागू करने के उद्देश्य,पिछले स्वशासन व्यवस्था के परिणाम आदि का वर्णन किया जायेगा।

2-द्रितीय अध्याय-राजस्थान में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था व जयपुर जिले की नगरीय स्वशासन व्यवस्था का अध्ययन

इस अध्याय राजस्थान प्रदेश में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था अधिनियम,स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की उपयोगिता, महत्व और जयपुर जिले में नगरीय स्वशासन व्यवस्था के संरचना के बारे में विस्तार से वर्णन किया जायेगा।

3-तृतीय अध्याय-साक्षर महिला जनप्रतिनिधियों की राजनीतिक व सरकारी नीतियों में भूमिका-

इस अध्याय में साक्षर महिला जनप्रतिनिधियों की राजनैतिक समझ,जागरूकता का स्तर,सरकारी योजनाओं की जानकारी,सरकारी नीतियों में उनकी भूमिका का अध्ययन किया जायेगा।

4-चतुर्थ अध्याय-महिला जनप्रतिनिधियों की सरकारी व राजनीतिक नीतियों में भूमिका संबंधी समस्याओं का अध्ययन

इस अध्याय में साक्षर महिलाओं को सरकारी और राजनैतिक निर्णयों के दौरान होने वाली समस्याओं के साथ ही उनकी भूमिका का वर्णन किया जायेगा।

5-पंचम अध्याय-परिणाम और विश्लेषण

इस अध्याय में अनुसूची के माध्यम से संकलित किये गये प्राथमिक ऑकड़ों का सारणीयन, वर्गीकरण और विश्लेषण,सारणी और रेखाचित्रों के माध्यम से किया जायेगा।

6-षष्टम अध्याय-निष्कर्षऔर सुक्षाव

इस अध्याय में प्राप्त होने वाले परिणामों का सारांश,निष्कर्ष और आने वाले समय में होने वाले शोधों के लिये सुझावों का वर्णन किया जायेगा।

7-परिशिष्ट

इस अध्याय में संदर्भ ग्रंथ सूची, अनुसूची, कोडबुक, पब्लिर्स रिसर्च पेपर और सेमिनार सर्टिफिकेट आदि को शामिल किया जायेगा।

10-संदर्भ ग्रंथ सूची एवं बेवलिग्स

1- सत्येन्द्र नाथ मजुमदार, विवेकानंद चरित्र, प्रकाशित 1971।

2-शरदचन्द्र चक्रवती, विवेकानंद जी के संग में, प्रभाव प्रकाशन, दिल्ली।

3-आर.सी. मजुमदार, द हिस्ट्र एण्ड कल्चर आफ द इण्डियन पीपुल, प्रकाशित 1981।

4-डॉ रानी आशु(1999) महिला विकास कार्यक्रम, ईनाश्री पब्लिशर्स, जयपुर, पृष्ठ सं-19।

5- डॉ कुलश्रेष्ठ, लक्ष्मी रानी, कुरूक्षेत्र, अक्टूबर—नवम्बर 1997 पृष्ठ सं.82

6-Austin Granville , The India Constitios; Cornerstone of a Nation, New Delhi, Oxford University Press, 1966
7- Kothari, R. (1989), Politics and The People, In Search of a Human India, Vol.I, New Delhi, A Janta Publications.
8- Dr. Ambedkar (1979) Dr. Baba Sahab Ambedkar: Writings and Spechchel, Vol. I,14 April
9- 1979 ISBN (Set) 978-93-5109-064-9
10- Clark, John, J. Local Government of The United Kingdom, London, 1948, p.1
11-Rao, V, Venkant, A Hundred Years of Local Self Government in Assam Beni Prakash Mander, Calcutta, 1965, p.1
12-Gokhale, B.K. The Constitution of India Seth & Co. Bombay, 1977, p. 130.7-8
14-Dwivedi Anupam (2015) Panchayati, Raj & Rural Development Regat Publications, New Delhi.
15-Gupta, D.N. (2004) Decentralisation Need for Reforms Concept, Publishing Company, New Delhi.
16- Singh, S.K. (1992) Role of Panchayati Raj in India, Radha Publication, New Delhi.
17-Pattanayak, Raimann (1994) Local Government Administration Reform, Anmol Publication Pvt. Ltd., New Delhi.
18-Rai, Pragya (2006) Political Representatio and Empowerment Women in Local Government Institute in Bihar India, Journal of Human Development 7 (2):221-41